






तिथि	आदेश फलक आदेश	अभ्युक्ति
05/08/20	<p>अभिलेख उपस्थापित नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है विपक्ष उक्त पते पर अनुपस्थित रहने के कारण नोटिस का तामिला नहीं हो पाया विपक्ष को पुनः नोटिस निर्गत करें </p> <p>अभिलेख दिनांक- ..0.5/0.9/20... को रखें </p>	 अंचल अधिकारी, झरिया
05/09/20	<p>अभिलेख उपस्थापित नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है विपक्ष द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कोविड-19 कार्य में व्यस्तता के कारण सुनवाई स्थगित </p> <p>अभिलेख दिनांक- ...0.5/10/20... को रखें </p>	 अंचल अधिकारी, झरिया
05/10/20	<p>अभिलेख उपस्थापित कोविड-19 कार्य में व्यस्तता के कारण सुनवाई स्थगित </p> <p>अभिलेख दिनांक- ...0.8/12/20... को रखें </p>	 अंचल अधिकारी, झरिया
08/12/20	<p>अभिलेख उपस्थापित अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत जमाबंदी को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द करने हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजें </p> <p>लेखाप्रित एवं संशोधित  अंचल अधिकारी, झरिया </p>	 अंचल अधिकारी, झरिया

अंचल अधिकारी का कार्यालय, झरिया (धनबाद) ।

वाद अभिलेख संख्या-.....16 / 2020-21 (अंतर्गत धारा- 4 (h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम.....मानिया देवी.....

.....पति - सत्यनारायण अग्रवाल.....

.....साठ - कतहपुर.....


एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-कतहपुर...थाना नं0-....130
खाता नं0-...24.... खेसरा नं0-...255, 256, 257...रकवा-...4.23... से संबंधित आपके नाम
से ह0 नं0-....!!!... के पंजी-11 भाग-...!!!... के पृष्ठ-...56.1... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरांत संदिग्ध प्रतिवेदित किया
है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक-...05.09.2020...को समय- 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्त से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा
निर्गत जमींदार रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा
निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो
आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

समद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/ साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

मुहर


अंचल अधिकारी,
झरिया।

तिथि :- 05.08.2020

स्थान :- झरिया